<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>11.01.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अगरतला ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 10.01.2025 को त्रिपुरा में कई स्थानों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाया, जिसमें गांजा और फेंसिडिल सहित मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल अंतर-राज्यीय ड्रग कार्टेल को निशाना बनाया गया।

ईडी ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत त्रिपुरा पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर तीन अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में कामिनी देबबर्मा, बिशु त्रिपुरा, औप रंजन दास और अन्य के खिलाफ मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों की तस्करी के अपराध में जांच शुरू की। आरोपी व्यक्तियों ने त्रिपुरा, असम, बिहार और भारत के अन्य हिस्सों सहित विभिन्न राज्यों में मादक पदार्थों की तस्करी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अंतरराज्यीय नेटवर्क बनाए रखा। यह कार्रवाई ईडी द्वारा अवैध ड्रग व्यापार से निपटने और अवैध ड्रग तस्करी से उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) का पता लगाने और उसे जब्त करने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।

ईडी की जांच से पता चला है कि ड्रग तस्करी के माध्यम से उत्पन्न पीओसी, हवाला के माध्यम से प्राप्त और बेनामी खातों में जमा किए गए, परिवार के सदस्यों और बेनामीदारों के नाम पर विभिन्न चल (फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक बैलेंस इत्यादि) और अचल संपत्तियों को खरीदने में निवेश किया गया था।

तलाशी अभियान के दौरान, उच्च गुणवत्ता वाले गांजा (मारिजुआना) की पर्याप्त मात्रा (लगभग 66 किलोग्राम) के साथ-साथ अन्य आपत्तिजनक साक्ष्य, जिसमें वित्तीय रिकॉर्ड, बेनामी संपत्तियों का विवरण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण मात्रा में पीओसी के सृजन का संकेत देते हैं।

आगे की जांच जारी है।



